

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा**  
**(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)**

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 72/2022 अपील सू.प्र.

**उनवान**

श्री प्यारचन्द बलाई पुत्र प्रताप बलाई बनाम 1. सहायक लोक सूचना अधिकारी  
निवासी जालरिया, तहसील आसीन्द, एवं तहसीलदार आसीन्द, जिला  
जिला भीलवाड़ा भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थीगण

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

उपस्थित :-प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।



**निर्णय**

दिनांक : 30-09-2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, आसीन्द के विरुद्ध दिनांक 31.08.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/- रुपये के पोस्टल ऑर्डर संख्या 59 एफ 193015 के साथ एक आवेदन दिनांक 28.07.2022 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, आसीन्द को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 2148 दिनांक 29.09.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं -

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना खान एवं भू-विज्ञान विभाग से संबंधित होने से प्रार्थी का आवेदन मूल ही कार्यालय तहसीलदार, आसीन्द के पत्रांक 1703 दिनांक 12.08.2022 से खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा को भिजवाया जाकर प्रार्थी को प्रतिलिपि देकर सूचित किया गया।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन में वांछित सूचना खान विभाग से संबंधित होने एवं प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रार्थना पत्र खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा को अंतरित कर दिये जाने से अपील न्यायालय क्षेत्राधिकार में नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)  
जिला कलक्टर एवं  
प्रथम अपीलेट अधिकारी  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा  
भीलवाड़ा